bpni
putting child nutrition at the forefront of social change

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

हाइन्ज़, नेस्ले और ऐबट द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन, माताओं में भ्रामक प्रचार

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013 : ब्रेस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई)/इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क (आईबीएफएएन एशिया) के अनुसार शिशु आहार बनाने वाली बड़ी कंपनियां– हाइन्ज़, नेस्ले और ऐबट आई.एम.एस. अधिनियम (शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 और संशोधन अधिनियम, 2003) का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रही हैं तथा माताओं में भ्रामक प्रचार कर रही हैं। इससे स्तनपान और प्राकृतिक पारिवारिक आहार का चलन कमज़ोर किया जा रहा है।

ये कंपनियां बाल स्वास्थ्य के बजाए मुनाफे को तरज़ीह दे रही हैं। उदाहरणार्थ, हाइन्ज कंपनी चार महीने से अधिक उम्र के बच्चों को अपने सिरियल फूड (मोटे अनाज़ से बनी खाद्य वस्तुएं) ''ओट एंड एपल'' देने के लिए कंटेनर पर लेबल और विभिन्न वेबसाइटों के जरिए माताओं को लुभा रही है। वह वेबसाइट के उपयोग के लिए माताओं को मुफ्त गिफ्ट, डिसकाउंट और यहां तक कि लॉयल्टी योजनाओं की पेशकश भी कर रही है, जिस पर कानून के तहत प्रतिबंध है। ये तौर तरीके न सिर्फ अवैध, बल्कि अवैज्ञानिक भी है।

डब्ल्यू.एच.ओ. के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस (एस.ई.ए.आर.ओ) में पोषण मामलों के सलाहकार डा. कुनाल बागची के अनुसार ''छह महीने की उम्र से पहले किसी भी बच्चे को सिरियल फूड्स देने पर उसके द्वारा माता का दूध पीने की चाह कम हो जाती है और इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं, जिनमें डायरिया (दस्त) भी शामिल है। छह महीने की उम्र तक शिशुओं को सिर्फ स्तनपान कराया जाना चाहिए।''

नेस्ले कंपनी विभिन्न वेबसाइटों के जरिए अपने शिशु आहार ''नॉन 1'' और ''लेक्टोजेन'' के प्रचार अभियान में स्वास्थ्य संबंधी दावे करते हुए प्रचार करती है। उसने बैबी डिटरजेंट्स के साथ अपने ''सेरेलक स्टेज 2 वीट ओरेंज'' की बिक्री को जोड़ा है। भारत सरकार की आपत्तियों के बावजूद ''नेस्ले न्यूट्रीशन इंस्टीट्यूट'' ने डॉक्टरों की मीटिंगें आयोजित करना भी जारी रखा है।

इस बीच, ऐबट कंपनी छह महीने की उम्र तक के शिशुओं के लिए अपने ''सिमिलेक एडवांस इनफेन्ट फॉर्मूला स्टेज 1'' और 0 से 6 महीने तक के शिशुओं के लिए ''सिमिलेक इनफेन्ट फॉर्मूला स्टेज 1'' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मस्तिष्क के विकास के दावे कर रही है। बाल रोग विशेषज्ञ और बीपीएनआई के नेशनल कॉऑर्डिनेटर डा. जे. पी. दधीच के अनुसार ''बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी उत्तरजीविता के हित में माताओं को भ्रमित करने के हथकंडे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए तथा भारत सरकार सुनिश्चित करे कि इस प्रकार के उल्लंघन अतिशीघ्र समाप्त हों।''

इसी प्रकार, पिजॅन, फर्लिन, विनी–द–पू, मॉरिसन, बेबी ड्रीम्स और मी मी दूध की बोतल बनाने वाली अनेक कंपनियां ई–मार्केटिंग वेबसाइटों पर डिसकाउंट पर बोतलों तथा सिरियल फूड्स की बिक्री कर रही हैं और यह आई.एम.एस. अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

आई.एम.एस. अधिनियम के तहत 0 से 2 साल तक के शिशुओं के लिए सभी प्रकार के शिशु आहारों और पोषण बोतलों के बढ़ावे पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें विज्ञापन, बिक्री पर प्रलोभन, डॉक्टरों या उनके एसोसिएशनों को प्रायोजन, सेल्समैन को कमीशन सहित आर्थिक लाभ भी शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत लेबल लगाने की आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर और एक माता युकी आज़ाद के अनुसार ''जब मैंने अपनी गर्भावस्था के दौरान मेरे अस्पताल द्वारा प्रसव–पीड़ा और प्रसूति पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया तो मुझे वहां बेबी फीडिंग प्रोडक्ट्स (शिशु भरण उत्पाद) के प्रचार (प्रोमोशन) को देख कर आश्चर्य हुआ। विशेषकर, वेब और अस्पताल के परिसरों में इस प्रकार के प्रोमोशन से युवा अभिभावकों की पसंद प्रभावित होती है। उन पर कृत्रिम भरण (फीडिंग) अपनाने के लिए प्रभाव पड़ता है, जो शिशुओं के लिए नुकसानदायक है। भारत जैसे देश में, जहां स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, बोतल के जरिए भरण से शिशु के स्तनपान की तुलना में डायरिया और तीव्र श्वास संबंधी संक्रमण से मौत की संभावना अधिक बढ़ जाती है। भारत सरकार ऐसा क्यों होने दे रही है?''

डब्ल्यूएचओ के अनुसार ''कृत्रिम आहार खिलाना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक स्थापित जोखिमभरी बात है। इसमें डायरिया, श्वास संबंधी समस्या या नवजात शिशु में संक्रमण एवं एलर्जी के अलावा मोटापा और वयस्क स्वास्थ्य रोग, जैसे डायबिटीज एवं हृदय रोग का अधिक खतरा रहता है।''[1]

भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य डा. अरुण गुप्ता के अनुसार ''यह बहुत बड़ी समस्या का एक सिरा भर है। समय आ गया है कि भारत सरकार जिला और राज्य स्तर पर आईएमएस अधिनियम के पर्यवेक्षण (मॉनीटर) और क्रियान्वयन के लिए असरदार प्रवर्तन मशीनरी तैनात करे।''

चूंकि आई.एम.एस. अधिनियम का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इस बारे में पर्यवेक्षण, जांच और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक जिला और राज्य स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, भले ही उल्लंघनकर्ता कोई व्यक्ति या बड़ी कंपनी हो।

हमारे बारे में :

बीपीएनआई एक पंजीकृत, स्वंत्र, गैर–मुनाफा आधारित एवं राष्ट्रीय संगठन है। यह स्तनपान के संरक्षण, उसे बढ़ावा देने और उसके समर्थन तथा शिशुओं एवं बच्चों के समुचित पूरक भरण की दिशा में कार्य करता है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI, एस 23144 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। बीपीएनआई शिशु दुग्ध विकल्प, भरण बोतलें, संबंधित उपकरण या शिशु आहार (सिरियल फूड्स) बनाने वाली कंपनियों से किसी भी प्रकार के फंड्स या प्रायोजन स्वीकार नहीं करता है। यह एशिया के इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क (आईबीएफएएन) के रीजनल कॉऑर्डिनेटिंग ऑफिस के कार्य में मदद करता है। आईबीएफएएन एशिया 25 से अधिक देशों में इष्टतम शिशु एवं बाल पोषण को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले समूहों का एक नेटवर्क है। http://www.bpni.org/

.....

[1]http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/nutrition/breastfeeding/en/index.html

प्रमुख विशेषज्ञ :

- डा. अरुण गुप्ता, रीजनल कॉऑर्डिनेटर, आईबीएफएएन एशिया : arun@ibfanasia.org; 9899676306
- डा. जे. पी. दधीच, नेशनल कॉऑर्डिनेटर, बीपीएनआई : jpdadhich@bpni.org ; 9873926751
- राधा होल्ला भर, कैम्पेन कॉऑर्डिनेटर, बीपीएनआई : holla.radha@gmail.com ; 9810617188

सूचना पृष्ठ :

- Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992

  http://wcd.nic.in/infantmilkpact1.pdf
- Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992, amendment Act 2003(IMS Act)

  http://wcd.nic.in/IMSamendact2003.pdf
- Notification n Infant Milk Substitute

  http://wcd.nic.in/noto271003.pdf
- WHO and UNICEF's Global Strategy on Infant and Young Child Feeding, 2003 http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562218.pdf
- WHO, World Breastfeeding Week 2013 ; Maternal , newborn, child and adolescent health

  http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/events/2013/world_breastfeeding_week/en/index.html
- National Guidelines on Infant and Young Child Feeding, 2004 http://wcd.nic.in/nationalguidelines.pdf
- Marketing Offender report , World Breastfeeding Conference 2012 http://worldbreastfeedingconference.org/images/marketing_offenders.pdf

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

- नुपुर बिड़ला, कॉऑर्डिनेटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9958163610; nupur@bpni.org, बीपीएनआई / आईबीएफएएन एशिया